

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/सी-1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/2019-20 दिनांक-29.09.2019 के तहत सतीदान यादव व्याख्याता, अंग्रेजी, राउमावि पावटा, जयपुर का स्थानांतरण स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम राउमावि गुरुकुल झिझानिया, बकानी, झालावाड किया गया। सतीदान यादव द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 67/2020 सतीदान यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।


अपील संख्या 67/2020 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2020 द्वारा अपीलार्थी श्री सतीदान यादव को एक अभ्यावेदन पेश करने एवं पेश किये जाने की स्थिति में इसे निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा अपनी विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना पदस्थापन 1. राउमावि मांचल, बहरोड़, अलवर 2. राउमावि धानक्या, जयपुर 3. राउमावि श्रीमाधोपुर, सीकर 4. राउमावि पावटा, जयपुर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी की प्रतिकूल परिस्थितियों एवं संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक पुनः विचार किया गया।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इनका समायोजन राउमावि धानक्या, जयपुर में व्याख्याता अंग्रेजी के रिक्त पद पर पदस्थापित कर अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सतीदान यादव व्याख्याता अंग्रेजी को, निर्देशित किया जाता है कि ये अपने समायोजित स्थान पर व्याख्याता अंग्रेजी के रिक्त पद पर दिनांक 10/02/2020 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें।


सभी पक्षकार सूचित होंगे।

  
(हिमांशु गुप्ता) 4/2  
IAS

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/अपील सं. 67/सतीदान यादव/2019 दिनांक :- 04/04/2020

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर
  2. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
  3. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
  4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
  5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
  6. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
  7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
  8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
  9. संबंधित प्राधानाचार्य
  10. संबंधित व्याख्याता,

  
संयुक्त निदेशक (कामिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर